दिनांकः 13.11.2014 को महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी की आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

दिनांकः 13.11.2014 को राज्य स्तर पर आयोजित समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक में शासनादेश दिनांकः 06.11.2014 की प्रति उपलब्ध कराते हुए राज्य पोषण मिशन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी। इस बैठक में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉ0 रिचा सिंह द्वारा स्लाइडस् के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया जिसे देखकर अधिकारियों को मिशन के कार्यक्षेत्र की जानकारी प्राप्त हुई। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य पोषण मिशन के कार्यक्रम को पूरे जनपद में किस प्रकार चलाया जाना है एवं जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चयनित ग्रामों में तत्काल किये जाने वाले कार्यो का विवरण उल्लिखित है। संलग्नक–1 इन्हीं को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चयनित ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। अतः उक्त चयनित ग्रामों का निरीक्षण करें तथा अतिकुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध कर उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की सम्यक व्यवस्था करायें।

2. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा चेकलिस्ट (प्रारूप–1 व 2) उपलब्ध करायी गयी है, जिसे भ्रमण के समय भर कर महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन कार्यालय, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराये तथा प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

3. उपलब्ध कराये गये राज्य पोषण मिशन के विजन डाक्यूमेंट एवं प्रस्तुतीकरण का अध्ययन कर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सम्बन्धित विभागो की भूमिका चिन्हित कर, आपस में समन्वय स्थापित कर कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये।

4. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन मशीन उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों का वजन लेकर उसे ग्रोथ चार्ट पर अंकित किया जाता है। जिससे बच्चों को स्वस्थ्य, कुपोषित एवं अतिकुपोषित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रचलित व्यवस्थानुसार समस्त ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्रवार सर्वे पूरा कराकर प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी सर्वे करने के बाद उन दो–दो ग्रामों को जहॉ कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की संख्या अधिक हो को गोद लें। इस प्रकार जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा चयनित ग्रामों की सूची 30 नवम्बर, 2014 तक चयनित कर जारी कर दी जाय तथा एक प्रति महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

5. अतिकुपोषित बच्चों को मानक के अनुसार एन0आर0सी0 हेतु सन्दर्भित किया जाये।

6. जनपद के सभी ग्राम सभाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण समिति की बैठक 15 नवम्बर, 2014 तक कराकर राज्य पोषण मिशन के बारे में जानकारी दें एवं इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के कार्यक्रमो की जानकारी प्रदान की जाये।

7. निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के समाधान निवारण प्रकोष्ठ का टोल फ्री नम्बर–18001805599 के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को जानकारी दी जाये।

Kamran

(कामरान रिज़वी)
महानिदेशक

निदेशालयः राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः C-193/रा0पो0मि0/कार्यवृत्त/2014–15 **दिनांकः** 20 **नवम्बर, 2014**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव आवास एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. सूचना अधिकारी/जनसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

(कामरान रिज़वी)
महानिदेशक